कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), जमुई
जिला– जमुई

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 396 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 1471 / 404 दिनांक– 30.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जमुई

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–893/17–18
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
भाग–I
प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।
2.	कार्यपालक अभियंता का नाम एवं पता:	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल जमुई श्री अवधेश कुमार, पथ निर्माण विभाग जमुई 28.09.2013 से 19.02.2015 मो0 शाहिद आजम, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई 19.02.15 से 31.12.2016 मो0 अरशद आलम, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जमुई 31.12.16 से अबतक
03.	लेखा परीक्षा की अवधि :	अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक
04.	लेखापरीक्षा की तिथि	16.10.2017 से 28.10.2017 तक (08 कार्य दिवस)
05.	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2014, अप्रैल 15 एवं जनवरी 2016
06.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री एस.के. वर्मा, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री आलोक कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री अजय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री विजेश्वर कुमार, लेखा परीक्षक
07.	लेखापरीक्षा का विस्तार	जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक के लेखाओं का नमूना जँाच किया गया। विस्तृत जाँच का माह मार्च 2014, अप्रैल 15 एवं जनवरी 2017 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह अप्रैल 2008 से अक्टूबर 2017 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
08.	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार विमर्श किया गया	हाँ, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण जमुई से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदागी नहीं होगा।

भाग– II

खण्ड– क शून्य

खण्ड– ख

कंडिका 01– योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रू. 7.40 लाख)

एकरारनामा संख्या	–	15 F2/2015-16 एम.बी. सं0---- 15/2015-16
योजना का नाम	–	Construction of PCC road/cum drain in Sohjana from house of Shri Suresh Verma to irrigation canal via Ramani tola Jhajha under MMNVY during year of 2014-15.
Name of Agency	–	Sri Manoj Kumar
प्रशासनिक स्वीकृति	–	जिला संचालन समिति, नगर विकास योजना, जमुई के द्वारा नगर पंचायत, झाझा के लिए चयनित योजना के क्रमांक 07 पर अंकित।
तकनीकी स्वीकृति	–	कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।
प्राक्कलित राशि	–	24,60,889/–
एकरारनामा की राशि	–	22,14,800/– (10 प्रतिशत कम दर पर)
कार्यादेश की तिथि	–	08.01.2016
कार्य पूर्ण करने की अवधि	–	4 माह
अभिकर्त्ता को भुगतान विवरणी	–	

क्र0	विपत्र सं0	राशि	S.D.	I.T.	S.T.	L. Cess	Royality	शुद्ध भुगतान
1	1st on A/c Bill	853124	42656	8531	42656	8531	9338	741412
2	2nd on A/c Bill	1356514	67826	13565	81391	13565	19299	1160868

लेखा परीक्षा टिप्पणी

01. निर्माण कार्यों का विभिन्न स्तरों पर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी तथा जांच प्रतिवेदनों के साथ संधारण का प्रमाण नहीं पाया गया।
02. दिशा–निर्देश के आलोक में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
03. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 5.09 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य

पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 5,09,225/-- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 5,09,225/-- का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि **रू0**
1	ईट	85483 nos	672.26/1000	57467
2	कोर्स बालु	215.41 M^3	210.42/M^3	45326
3	स्टोन चिप्स	153.83 M^3	2642.48/M^3	406493
				509286

04. Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 0.92 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003 – 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee प्रतिशत की मॉग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0. 25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 1.0%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional PerformanaceGuarantee के रूप में राशि की मांग करनी थी।

Additional Performance Security की मांग नहीं किया गया जबकि एकरारनामा 10 प्रतिशत प्राक्कलन से कम पर किया गया जिसके कारण संवेदक को अदेय लाभ प्राक्कलन का 3.75% = 3.75% of 2460889 रू0 = 92283 रू0 हुआ।

05. बिना Deviation at a site statement का अनियमित भुगतान (रू0 1.17 लाख)

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0–27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना अनिवार्य है।

इस योजना कार्य में विचलन का विवरण निम्न है–

क0	कार्य का नाम	प्रा0 मात्रा (बी.ओ.क्यु)	वास्तविक तथा मापी की मात्रा	वृद्धि (प्रतिशत में)	अंतर मात्रा	दर	राशि
1	Construction of embankment with approved material E/I	280 M^3	329.40 M^3	17.64	49.4	205.20	10137
2	Local sand filling in foundation	30 M^3	32.94 M^3	9.8	2.94 M^3	438.97	1291
3	Designation 100 A brick	400 M^2	439.20 M^2	9.8	39.20 M^2	262.13	10275
4	Plain cement concrete M10 in foundation	40 M^3	43.92 M^3	9.8	3.92 M^3	5675.97	22250
5	Brick Work 100A (1:4)	112.50 M^2	126.34 M^2	12.3	13.84 M^2	4800.71	66442
6	RCC M20	60 M^3	60.75 M^3	1.25	0.75 M^3	6233.26	4675
							115070

Deviation at a site statement Registerप्रस्तुत नहीं किया गया।

06. प्राक्कलन से अधिक दर से गणना के कारण अधिक भुगतान (रू0 0.41 लाख)

Sl. No.	Item of works	Estimated Rate	As per MB Calculated	Extra Payment
A	Providing RCC M20 for Slab of Drains (MB page No. 38)	6233.26/M^3	6672.90/M^3	(6672.90 – 6233.26) **x 60.75/-=26708**
B	Providing S/F/F M/S reinforcement in RCC work (MB Page No. 38)	70.80/Kg	74.00/Kg.	(74.00 – 70.80)X 4500/- **= 14400/-**
कुल अधिक भुगतान (a+b)				**41108/-**

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. फोटोग्राफी की गयी है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं देने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
5. Deviation 1.25 प्रतिशत से 17.64 प्रतिशत तक है जो कार्यपालक अभियंता के अधीनस्थ आता है। उनके द्वारा मापीपुस्त हस्ताक्षरित है।
6. जॉचोपरांत कार्रवाई की जायेगी।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा नियमों के पालन में ढिलाई बरती गयी है।

कंडिका 02– योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रू. 14.25 लाख)

एकरारनामा सं0	**01/F2, 2013-14 एम.बी. सं0–01/2013–14, 02/2013–14 की समीक्षा**
योजना का नाम	वार्ड सं0 8 जमुई मे वीरेन्द्र सिंह के घर से इन्दुभूषण के घर तक पी. सी.सी. एवं नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 4376700/–
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 21.04.2013
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री अशोक कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	20.11.13
कार्य पूर्ण करना था	19.02.14
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू0 3609020/– (15 % below)
भुगतान	रू0 3607926/–

1. **Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 3.16 लाख)**

   अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003– 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप में राशि की मॉग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 1 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25 प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50 प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की कटौती करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 15% below पर एकरारनामा की राशि रू0 3609020/– से रू0 315789/– का (3609020/–X 8.75%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 315789/– का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 11.09 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1109013/– का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1109013/– का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	804.94 m^3	215.90/m^3	173787
2	स्टोन चिप्स	401.56 m^3	2107.65/ m^3	846348
3	ईट	190316 no.	467.05/1000	88887
				1109022

3. गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच कम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जॉच नहीं करवायी गयी है।

4. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त्त स0 4 मे यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगों को लिया जाएगा जहॉ संबंधित येाजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अंनुसूचिंत जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति कियान्वयन के दौरान कायों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेंगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती करें ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय– समय पर जॉच कराया जाता है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना के कियान्वयन में नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया गया है।

<u>कंडिका 03– योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन</u>

एकरारनामा सं0	**07/F2, 2013-14 एम.बी. सं0–15/2013–14, 16/2013–14 की समीक्षा**
योजना का नाम	जिला पदाधिकारी, जमुई निवास से जमुई मुख्य सड़क तक पी0सी0सी0 पथ तथा नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 2759200/–
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 25.04.13
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री प्रभात कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	25.11.13
कार्य पूर्ण करना था	24.02.14
कार्य की स्थिति	पूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू0 2576172/– (5.7 % below)
भुगतान	रू0 2528924/–

1. **<u>Additional Performance Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 0.58 लाख)</u>**

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003-- 3876 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये

प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मॉग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 01 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1%एक प्रतिशत अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 5.7% below पर एकरारनामा किया गया परन्तु डूडा द्वारा रू0 57964/– को (2576172/–X 2.25%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 57964/– का अदेय सहायता दिया गया था।

2. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 8.35 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 835266/– का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 835266/– का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	210.525 m^3	215.90/m^3	45452
2	स्टोन चिप्स	366.599 m^3	2107.65/ m^3	772662
3	ईट	36724 no.	467.05/1000	17152
				835266

3. **गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना**

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जॉच नहीं करवायी गयी है।

4. **स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना**

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त्त सं0 4 मे यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगों को लिया जाएगा जहॉ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय-- समय पर जॉच कराया जाता है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना कियान्वयन में सभी नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 04– योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रू. 11.46 लाख)

एकरारनामा सं0	E-Tender-01/2015-16 **एम.बी. स0–01 / 2015–16 की समीक्षा**
योजना का नाम	वार्ड संख्या 18 में कलीम मियां के घर से मनीष कोल डिपो तक पी0सी0सी0 पथ तथा नाला निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 4086400 / --
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 12.08.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री विभाष कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	04.09.2015
कार्य पूर्ण करना था	03.01.2016
कार्य की स्थिति	पूर्ण

एकरारनामा की राशि रू0 3502807/– (10 % below)

भुगतान रू0 3498094/--

1. <u>Additional Performanace Guarantee **नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 1.31 लाख)**</u>

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003– 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत कियागया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 01 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी।

लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 10% below पर एकरारनामा किया गया, परन्तु डूडा द्वारा रू0 131355/– का (3502807/–X 3.75%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 131355/– का अदेय सहायता दिया गया था।

2. **<u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 8.68 लाख)</u>**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 868310/– का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 868310/– का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	337.69m^3	210.42/m^3	71057
2	स्टोन चिप्स	303.71m^3	2345.89/ m^3	712470
3	ईट	126116 no.	672.26/1000	84783
				868310

- प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं संचिका में संलग्न नहीं था।

3. **गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना**

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच कम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुरत में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जॉच नहीं करवायी गयी है।

4. **स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना**

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त्त सं0 4 मे यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगों को लिया जाएगा जहॉ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

5. **समय सीमा के अन्दर कार्य की समयावृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रू0 1.47 लाख**

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 03.01.2016 तक थी। समयावृद्धि हेतु काटी गयी राशि रू0 261919/– (कटौती– द्वितीय एवं तृतीय चालू विपत्र) थी। एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार प्राक्कलित राशि ₹ 4086400/– का 10 प्रतिशत रू0 408640/– की कटौती नहीं कर संवेदक को 146721/– (408640 – 261919) अदेय सहायता दिया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है, इसलिए Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर जॉच कराया जाता है।
5. संवेदक के एकाउन्ट बिल के साथ समय वृद्वि की राशि की कटौती की गयी है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना कियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 05–योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रू. 16.74 लाख)

एकरारनामा सं0	E-Tender-03/2015-16 **एम.बी. सं0–07 / 2015–16 की समीक्षा**
योजना का नाम	कमल टॉकिज से खलासी मुहल्ला झाझा तक पी0सी0सी0 **पथ** निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 3823900 / –
तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता डुडा दिनांक 11.05.2015
प्रशासनिक अनुमोदन	जिला पदाधिकारी जमुई।
संवेदक का नाम	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
कार्य आरंभ करने की तिथि	18.12.2015
कार्य पूर्ण करना था	17.04.2016
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू0 3292405 / – (10 % below)
भुगतान	रू0 2417112 / – (2nd on A/c Bill)

1. **Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 1.23 लाख)**

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र05 / 1 / वी0–2 / 2003– 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष / अनियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत कियागया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे

Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 0 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25 % प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15% कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 10% below पर एकरारनामा किया गया, परन्तु डूडा द्वारा रू0 123465/– का (3292405/–X 3.75%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 123465/– का अदेय सहायता दिया गया था।

2. **ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 11.46 लाख)**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की क्रय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1146051/– का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1146051/– का भुगतान अनियमित था।

क्र0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालु	322.87 m^3	210.42/m^3	67938
2	स्टोन चिप्स	394.05 m^3	2642.48./ m^3	1041269
3	ईट	54806 no.	672.26/1000	36844
				1146051

प्रपत्र एम0 एवं एन0 नहीं लिया गया था।

3. **गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना**

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच क्रम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक ही बार गुणवत्ता जॉच कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में चार एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जॉच नहीं करवायी गयी है।

4. **स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना**

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त्त सं0 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगों को लिया जाएगा। जहॉ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं की उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वियन से पूर्व इस समिति का गठन करना है। यह समिति क्रियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

5. **समय सीमा के अन्दर कार्य की समयावृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया जाना एवं संवेदक को अदेय सहायता रू0 3.82 लाख**

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर की समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है। लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन संचिका में संलग्न नहीं है तथा कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 17.04.2016 तक थी। एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार प्राक्कलित राशि 3823900/-- का 10 प्रतिशत रू0 382390/-- की कटौती नही कर संवेदक को रू0 382390/— अदेय. सहायता दिया गया है।

6. **बिना मापी के भुगतान कर संवेदक को अदेय सहायता रू0.23लाख**

इस कार्य के प्रथम चलंत बिल मे सेंटरिंग तथा "टरिंग कार्य की मापी नहीं की गई थी लेकिन संवेदक को रू0 23421/—(140.40 m^2×166.86/ m^2) अदेय सहायता दिया गया था।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं होने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. जिला पदाधिकारी द्वारा समय– समय पर जॉच कराया जाता है।
5. संवेदक के एकाउन्ट बिल से समय वृद्धि की राशि की कटौती उसके अवशेष भुगतान की राशि से कटौती कर ली जायेगी।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना कियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 06– योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रू. 15.85 लाख)

एकरारनामा सं0	**01/SBD, 2014-15 एम.बी. सं0–09/2013–14, 27/2013–14,28/2013–14,29/2013–14 की समीक्षा**
योजना का नाम	नगर परिषद जमुई के नगर सरकार भवन का निर्माण।
प्राक्कलित राशि	रू0 20221719/--
तकनीकी स्वीकृति	मुख्य अभियंता केन्द्रीय निरूपण संगठन पथ निर्माण विभाग बिहार पटना दिनांक 25.02.2014
प्रशासनिक अनुमोदन	संयुक्त सचिव सह निदेशक नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3059 दि0 18.12.13
संवेदक का नाम	श्री सुदेश कुमार सिंह एन्ड को0 कन्सट्रक्सन प्रा0 लि0
कार्य आरंभ करने की तिथि	16.08.14
कार्य पूर्ण करना था	15.02.16
कार्य की स्थिति	अपूर्ण
एकरारनामा की राशि	रू0 20172722/– (0.01 % below)
भुगतान	रू0 20147225/– छटठा चलंत बिल तक।

इस योजना के लिए नगर परिषद जमुई द्वारा डुडा जमुई को नगर सरकार भवन निर्माण के लिये रू. 29045667 राशि दिया गया था। डूडा के द्वारा भवन निर्माण कार्य में रू. 21989095 व्यय किया गया था तथा इसका उपयोगियता प्रमाण पत्र नगर परिषद जमुई को दिया गया था। अवशेष राशि में से शेष राशि रू. 5525779 नगर परिषद जमुई को वापस कर दी गयी थी।

अंकेक्षण आपत्ति

1 Additional Performanace Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवदेक को अदेय सहायता (रू0 0.50 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003– 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत कियागया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से serious unbalanced कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता है तो उससे Additional

Performanace Guarantee के रूप राशि की माँग की जाए। परिमाण विपत्र की दर 1 से 5% कम उद्धृत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत तथा 5% से 10% तक कम उद्धृत के लिए 0.50% प्रति एक प्रतिशत तथा 10%&15% के कम उद्धृत निविदा के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत अर्थात 15%कम निविदा के लिए 8.75% Additional Performanace Guarantee के रूप राशि की मांग करनी थी। लेकिन शहरी अभिकरण, जमुई द्वारा 0.01% below पर एकरारनामा किया गया, परन्तु डूडा द्वारा रू0 50432/– का (20172722/–X 0.25%) मांग नहीं किया गया था। अतः संवेदक को रू0 50432/-- का अदेय सहायता दिया गया था।

2. ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 15.35 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(3) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से लघु खनिज की कय की जाती है तो संवेदक प्रबंध के इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(3) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करने का प्रावधान है।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1534707/-- का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1534707/– का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	कोर्स बालू	1896.355 m^3	212.88/m^3	403696
2	स्टोन चिप्स	593.958 m^3	1558.53./ m^3	925701
3	ईट	377409 no.	544.00/1000	205310
				1534707

3. गुणवत्ता जॉच प्रत्येक चालू बिल के बाद नहीं किया जाना

बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के पहले के भुगतान से पूर्व गुणवत्ता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। संचिका जॉच कम में देखा गया कि अभिकरण द्वारा एक बार भी गुणवत्ता जॉच नहीं कराया गया है। जबकि मापी पुस्त में छः एकाउन्ट बिल दर्ज है। यानि प्रत्येक एकाउन्ट बिल के बाद गुणवत्ता जॉच नहीं करवायी गयी है।

4. स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन नहीं किया जाना

आवंटन पत्र के योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित शर्त्त सं0 4 में यह दर्ज है कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रत्येक कार्य के लिए एक स्थानीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में उस स्थानीय आबादी या गॉव के लोगों को लिया जाएगा जहॉ संबंधित योजना को लागू किया जा रहा है। इस समिति में कम से कम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के लिए सदस्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा, कार्यकारी एजेन्सी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना कार्यान्वयन से पूर्व इस समिति का गठन करना है; यह समिति कियान्वयन के दौरान कार्यो की प्रगति एवं गुणवत्ता पर नजर रखेगी तथा अपना प्रतिवेदन कार्यकारी एजेन्सी को समर्पित करेगी।

परन्तु संचिका जॉच कम में देखा गया कि उपर्युक्त नियम एवं शर्तो का अनुपालन नहीं किया गया है।

5. संचिका से यह ज्ञात नही हो सका कि भवन निर्माण के लिए वहां की मिटट्‌ी की जॉच करायी गयी थी अथवा नहीं मिटट्‌ी जॉच से संबंधित प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं काराया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि

1. कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिये Additional Performance Security काटी नहीं जा सकती है।
2. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं देने पर रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।
3. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।
4. नगर परिषद जमुई द्वारा इसका समय–समय पर जॉच की गयी है।
5. एस0बी0डी0 की प्रति अंकेक्षण को दिखा दी गयी है।
6. टेंडर में ही मिटट्‌ी जॉच के लिए संवेदक को तकनीकी पदाधिकारी रखना था जो उनके द्वारा किया है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना कियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

<u>कंडिका 07– योजना के भुगतान में संवेदक को अदेय सहायता एवं अनियमित कियान्वयन (रू. 9 लाख)</u>

योजना का नाम ––– वार्ड न0 11 हरनाहा में बजरंगबली मंदिर से डेयरी हाउस होते हुये संत थामस स्कूल तक पी0सी0सी0 सड़क एवं नाला निर्माण।

एन0आई0टी0–ई–टेन्डर– 03/2015–16 ग्रुप– 03

एकरारनामा सं0 एवं वर्ष –03एफ–2/2015–16

एकरारनामा की तिथि –27.11.15

एकरारित राशि –3719017 (अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत कम पर)

संवेदक का नाम - अशोक कुमार सिंह

कार्यारंभ/समाप्ति की तिथि– 27.11.15/26.03.16

अन्तिम मापी – 02.02.16

मापी राशि –– 2873684 (10 प्रतिशत कम पर)

कुल भुगतान – 2873684 (1st + 2nd bill)

(i) <u>अतिरिक्त परफोर्मेंस सिक्युरिटी नहीं लिए जाने से संवेदक को अदेय सहायता रू 1.39 लाख</u>

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विषेश सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003 – 3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका स0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्राक्कलन से कम दर पर अपनी निविदा में उद्धृत करता तो क्लॉज के तहत संवेदक द्वारा अनुसूचित दर से कम दर (unbalance bid) पर निविदा डाले जाने की स्तिथि में कार्य की गुणवत्ता एवं पूर्णता को सूनिश्चित करने के लिए संवेदक से अतिरिक्त परफोर्मेस सेकुरिटी के रूप में राशि लिए जाने का प्रावधान है। उक्त कार्य को परिमाण विपत्र की राशि से 10 प्रतिशत कम दर से आवंटित किया गया एवं 3719017 पर एकरारनामा दिनांक 27.11.15 को किया गया। उपरोक्त क्लॉज के अनुसार 3719017 (एकरारित राशि) पर 3.75 अर्थात 139463 अतिरिक्त परफोर्मेस सेकुरिटी के रूप में लिया जाना था लेकिन उपरोक्त क्लॉज का उल्लंघन करते हुये राशि नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को रू 139463 का अदेय सहायता पहुँचाया गया।

(ii) गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे– **प्रथम स्तर**– संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम मे समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**– जिला गुणवत्ता सम्न्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निगंत करना था। **तृतीय स्तर**–राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पेनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय– समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवता जांच नहीं होना, कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

1. संवेदक द्वारा एम एन फार्म नहीं देने के कारण रायल्टी की कटौती कर ली गयी है।

2. गुणवत्ता जॉच कराया गया है।

3. कार्य पूर्ण हो गया है इसलिये Additional Performance Security की कटौती संभव नहीं है।

उपर लिखित जवाब से स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा योजना क्रियान्वयन में नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है।

कंडिका 08— परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना रू. 8.40 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले कार्य दिवस तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमान्य नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जमुई के अभिलेखों तथा रोकड़वही के जॉच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण बिपत्र (बी.ओ.क्यू.) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बी.ओ.क्यू. के लिए संधारित SBI, Jamui के खाता संख्या 32990450476, Axis Bank, Jamui के खाता संख्या 915010043974737 तथा HDFC Bank, Jamui के खाता संख्या 50100092663060 में जमा किया गया था। यह पाया गया कि सभी खाते में दिनांक 31.03.2017 तक रू. 555050/— जमा थी। परन्तु, यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गई। इस प्रकार सरकारी धन को कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया। उसी प्रकार पथ निर्माण विभाग जमुई द्वारा रू 285000 की राशि बैक खाता सं0— 464510100005329 बैंक ऑफ इंडिया जमुई में रखा गया था जिसे सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किया गया था।

इन राशियों को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा तिथि (अक्टुबर 17) तक नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि यथाशीघ्र सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

कंडिका 9— विभागीय दिशा—निर्देशों का पालन नहीं

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 2ब/मु.मं.—08—05/2015/51/न. वि.एवंआ.वि./पटना दिनांक 07.09.2015 में उल्लिखित विभागीय संकल्प सं. 2157 दिनांक 05.09.2013 द्वारा यह निर्णय संसूचित किया गया है कि सडक तथा नाला मद में कुल आवंटित राशि का 65 प्रतिशत तथा नागरिक सुविधा मद में 35 प्रतिशत राशि व्यय की जायेगी।

नागरिक सुविधा मद अंतर्गत पार्कों/तालाबों/झीलों/घाटों का जीर्णोद्वार/निर्माण कार्य, बस स्टैण्ड का निर्माण एंव जीर्णोद्वार/मलिन बस्ती का विकास/विवाह भवन/सामुदायिक भवन/सभागार/सांस्कृतिक भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्वार/सार्वजनिक शौचालय/यात्री शेड/प्याउ/रैन बसेरा का निर्माण एंव जीर्णोद्वार आदि योजनाओं को शामिल किया जाना है।

कार्यालय, जि0श0वि0अभि0, जमुई के लेखाओ के लेखा परीक्षा के क्रम में कार्यालय द्वारा लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये Abstract of cost के साथ संलग्न अद्यतन मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत दिनांक 20.11.2013 के पश्चात् अनुमोदित योजनाओं की प्राक्कलित राशि की प्रतिशत्ता के आधार पर गणना लेखा परीक्षा द्वारा निम्न प्रकार की गयी है–

वर्ष	सड़क/नाला मद		नागरिक सुविधा मद		कुल	
	प्राक्कलित राशि	प्रतिशतता	प्राक्कलित राशि	प्रतिशतता	प्राक्कलित राशि	प्रतिशतता
2013–14 एवम 2014–15	20975692	51.54	19720766	48.46	40696378	100

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि दिनांक 05.09.2013 के पश्चात् अनुमोदित योजनाओं के चयन में सरकार के संकल्प सं. 2157 दिनांक 05.09.2013 के उक्त दिशा–निर्देश का पालन नहीं किया गया है। वर्ष 2013–14 एवम 2014–15 में सड़क/नाला मद में 51.84 प्रतिशत तथा नागरिक सुविधा मद में 48.46 प्रतिशत प्राक्कलित राशि की योजनायें अनुमोदित की गयी है जबकि दिशा–निर्देशानुसार यह प्रतिशत्ता क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 35 प्रतिशत होनी चाहिए थी।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जिला योजना संचालन समिति द्वारा चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय दिशा निर्देश का पालन नहीं किया गया था।

<u>कंडिका 10–श्रम सेस तथा रायल्टी की राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं रू. 11.48 लाख</u>

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), जमुई के अभिलेखों तथा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणी की जॉच में यह पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 तक विभिन्न योजनाओं से श्रम कर तथा रॉयल्टी के रूप में कुल 1148844.00 (श्रम सेस रू. 514102.00 तथा रॉयल्टी रू. 634742.00) की कटौती की गई है, जिसका विवरण निम्न है–

Sl. No.	Name of Bank	Labour Cess	Royalty
1	Axis Bank	281507	468966
2	HDFC	232595	165776
	Total	**514102**	**634742**

लेकिन उक्त राशि को उपयुक्त शीर्ष में जमा नहीं किया गया है।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि यथाशीघ्र संबंधित मद के शीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

कंडिका 11–मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की भौतिक रूप से पूर्ण योजनाएँ की लंबित भुगतान (रू. 52.96 लाख)

माह सितंबर 2017 के योजना विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित तीन योजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण थी, किन्तु संवेदक का भुगतान लंबित था। विवरणी निम्नवत् है।

(राशि लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	योजना सं./नाम	प्राक्कलित राशि/एकरारनामा की राशि	मापी की राशि	व्यय की गयी राशि	अभ्युक्ति
1	2015–16	जमुई–मलयपुर पथ आर. के. एम. लाईन होटल के पास से त्रिवेणी यादव घर के आगे तक सड़क एवं नाला निर्माण।	4473600/3481929	3481929	2878762	पूर्ण
2	2015–16	कमल टॉकीज चौक से खलासी मुहल्लहा की ओर जाने वाली सड़क का प्रो० राजेन्द्र साहु के घर तक सड़क का उन्नयन कार्य।	3823900/3292405	3168064	2417112	पूर्ण
			कुल योग		**5295874**	

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि के अभाव में भुगतान लंबित है तथा इसके प्राप्ति के लिये पत्राचार किया जा चुका है।

कंडिका 12–उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाना (रू. 2274.61 लाख)

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा जिला पदाधिकारी जमुई को जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई, हेतु मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत दिये गये प्रत्येक आवंटन की शर्त्तों के अनुसार राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को उपलब्ध करायी जानी थी।

जिला पदाधिकारी जमुई के आवंटन पत्र संबंधी संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई को प्राप्त आवंटन की स्थिति निम्नवत थी–

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पत्रांक/दिनांक	प्राप्तकर्त्ता कार्यालय	प्राप्त आवंटन राशि (लाख में)
1	2008–09	----	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	11934150
2	2009–10	05/21.06.09	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	8919950
3	2009–10	01/11.02.10	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	13723000
4	2010–11	07/20.06.10	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	24070120

5	2012–13	15 / 31.10.13	कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	28052200
6	2013–14	01 / 06.01.14	कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	21038700
7	2015–16	01 / 14.07.15	कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	33130300
8	2015–16	05 / 16.09.14	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–झाझा	10490600
9	2011–12	02 / 10.02.12	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	28970120
10	2011–12	01 / 10.02.12	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	24516000
11	2010–11	16 / 26.08.10	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	5600000
12	2011–12	04 / 22.06.11	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2–सह–प्रभारी अभियंत्रण कोषांग, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई।	17016000
				227461140

उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में समर्पित नहीं किया गया।

जवाब में बताया गया कि आवंटन तथा व्यय की गयी राशि की विवरणी जिला पदाधिकारी कार्यालय को दे दी गयी है। उनके द्वारा उपयोगियता प्रमाण–पत्र भेज दी गयी होगी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक कंडिका यथावत रहेगी।

कंडिका 13 चालू खाता में रखने के कारण सूद की हानि 7.61 लाख

जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमुई ब्रॉच में चालू खाता खोला गया जिसका खाता संख्या 32990450476 है, में एक माह हेतु राशि 228316312.50 रू0 रहा (विवरणी परिशिष्ट– । पर संलग्न) जिसके कारण सरकारी राजस्व की 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से कुल 761054.00 की हानि हुई।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग जमुई के दिशा निर्देशानुसार राशि चालू खाता में जमा की गयी है।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि चालू खाता में राशि रखने के कारण सूद की हानि हुई।

कंडिका– 14 बैंक खातों की जनवरी 2007 से अभी तक (अगस्त 2017) की बैंक अधिकारियों तथा सक्षम पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित बैंक विवरणी (Bank Statements) उपलब्ध नहीं

जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुइ में संधारित 2007 से अभी तक (अगस्त 2017) सभी बैंक खातों की विस्तृत सूची तथा सभी बैंक खातों की जनवरी 2007 से अभी तक (अगस्त 2017) की बैंक अधिकारियों

तथा सक्षम पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित बैंक विवरणी (Bank Statements) आवश्यक जॉच हेतु लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी।

जवाब में बताया गया कि दो–तीन जगह डूडा ऑफिस चलने के कारण 2008–09 से बैंक पासबुक संभव नहीं है। यूनिट द्वारा वर्ष 2012–13 से सितंबर 17 तक का पासबुक/स्टेटमेंट ही दिया गया है।

भाग– III

नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी (Test Audit Note)

टिप्पणी 01–योजना पंजी एवं योजना से संबंधित अभिलेखों का संधारण

जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के योजना संबंधी अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में पाया गया कि अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है–

i. योजनाओं को योजना सं. एवं वर्ष के साथ अंकित नहीं किया गया था।

ii. योजना विशेष की संचिका में योजना से संबंधित अभिलेख यथा आवंटन आदेश, निविदा आमंत्रण सूचना, प्राक्कलन, संविदा में चयनित संवेदक से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, एकरारनामा, परिणाम विपत्र, मापी पुस्त एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण का संधारण नहीं था।

iii. संचिकाओं में भुगतान संबंधी आदेश दर्ज नहीं था।

iv. योजना को पूर्ण होने संबंधी पूर्णता प्रमाण पत्र का इंद्राज नहीं किया गया।

v. सुरक्षित जमा पंजी का सधारण नहीं होने से सुरक्षित जमा की प्राप्ति/कटौती एवं वापसी संबंधी जाँच नहीं की जा सकी।

vi. रॉयल्टी, सेल्स टैक्स, श्रम सेस आदि कटौती से संबंधित लेजर का संधारण नहीं किया गया था।

vii. योजना पंजी में बहुत सी योजनाओं में मापी पुस्त संख्या का इंद्राज नहीं था।

कार्यालय कार्य में पारदर्शिता हेतु योजना संबंधी अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से किया जाय।

viii. जनवरी 2007 से अगस्त 2017 तक सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बैंक विवरणी प्रस्तुत नहीं किया गया।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि योजना पंजी में आवश्यक सुधार कर दी जायेगी। अतः अभिलेखों को पूर्णरूपेन संधारित कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाये।

–हस्ता०–
(एस.के. वर्मा)
व०ले०प०अ०
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा०प्र०–I/स्था०नि०)